न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या ...1.../...153.../20..24

उनवानः– सुनील बनाम कैलाशचन्द

7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील डिलीवरी रिपोर्ट अनुसार Item Delivered (address) अंकित है। आवश्यक सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। वकील प्रार्थी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात ख०न० 549 रकबा 0.2700 है० 0.3300 है०, ख०न० 550 रकबा वाके ग्राम बड़ी का खेड़ा, पटवार हल्का इटावदा सू.अ.नि.जे. टीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते उचित आदेश तारीख पेशी 3/12/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर
3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। मूलवाद में अप्रार्थी सं. 2 से 3 के विरुद्ध अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। मूलवाद के अनुसरण में प्रा.पत्र अ.नि. में भी अप्रार्थी सं. 2 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तिम वकील प्रार्थी की एकपक्षीय सुनी गई। बहस ... लगातार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : T.I. No. 153 / 2024

उनवानः- सुनील कुमार बनाम कैलाश चन्द्र वगै.

Con....

पर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है मूलवाद में निर्णय पारित कर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गए है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित बनाए रखना आवश्यक समझते है। जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 549 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550 रकबा 0.2700 हैक्टेयर स्थित ग्राम बड़ी का खेड़ा, पटवार हल्का कल्मीकलां भू० अ०नि० क्षेत्र नीकुरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 03/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

[signature]